कार्यालय,
पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज,
बिलासपुर

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023

उद्देश्य

- साक्ष्य कानून का आधुनिकीकरण
- इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों की वैधानिक ग्राह्यता
- साक्ष्य संग्रह और प्रस्तुति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- साक्ष्य संग्रह, प्रस्तुति और मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना

परिचय

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 167 धाराओं के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धारायें है एवं 11 अध्याय के स्थान पर 12 अध्याय है।

संशोधन एक नज़र में

- 45 से अधिक बड़े और छोटे बदलाव
- कुल 24 प्रावधानों में संसोधन
- कुल 2 नयी धारायें और 10 नयी उपधाराएँ जोड़ी गई
- कुल 5 नये स्पष्टीकरण जोड़े गये
- कुल 1 नया प्रावधान जोड़ा गया
- कुल 11 धारायें और उपधाराएँ हटा दी गई
- कुल 5 स्पष्टीकरण हटा दिये गये
- एक दृष्टांत हटा दिया गया
- एक अनुसूची जोड़ी गई

BSA
प्रमुख परिवर्तन

- 'दस्तावेज़' की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयानों को 'साक्ष्य' की परिभाषा में शामिल किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देने के लिए इसकी **proper custody, storage, transmission** और **broadcast** हेतु स्पष्ट प्रावधान किए गए है।
- द्वितीयक साक्ष्य की ग्राहयता के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति और जिन दस्तावेजों की जांच अदालत द्वारा आसानी से नहीं की जा सकती उनकी ग्राहयता एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल किया गया है।
- साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड्स की वैधानिक ग्राहयता, वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित की गई है।
- सहपराधी की प्रमाणित गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को वैधानिकता प्रदान की गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए व्यापक प्रमाणपत्र अनुसूची में जोड़ा गया।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

धारा 2(1)(d)(6) दस्तावेज की परिभाषा

- दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करके इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख को भी शामिल किया गया तथा दृष्टांत (vi) - ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मेसेज, वेबसाइट, क्लाउड, अवस्थिति साक्ष्य (locational evidence) में इलेक्ट्रोनिकी अभिलेख और डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत किए गए वॉयस मेल मेसेज दस्तावेज है।(नयी उपधारा)

धारा 2 (1)(e) साक्ष्य की परिभाषा

- इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई भी कथन को शामिल किया गया है, इससे गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सेप्रस्तुत किए साक्ष्य को वैधता प्रदान करता है। इस धारा के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख को सम्मिलित किया गया है, जिससे इन अभिलेखों की साक्ष्य प्रस्तुति और ग्रह्यता सुकर होगी। उक्त संशोधन से साक्षी गण को बार-बार न्यायालय में आने की परेशानी दूर होगी साथ शासन के समय और धन की बचत होगी, यह संशोधन त्वरित न्याय में भी सहायक होगा। (संशोधित उपधारा)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

धारा 2 (2) शब्द और पद

- उपधारा 2 में प्रयुक्त शब्द और पद, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है। **(नयी उपधारा)**

धारा 4 रेस जेस्टे का सिद्धांत

- एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति **(रेस जेस्टे का सिद्धांत)** - जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी **विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य** से इस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।
- **दृष्टांत** -B को पीटकर उसकी हत्या करने का A अभियुक्त है। A या B या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

निकटता से सुसंगत तथ्य

- धारा 4 से 14 (निकटता से सुसंगत तथ्य) - सुसंगता संबंधित प्रावधान पूर्व साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 16 तक थे, जो वर्तमान BSA में 4 से 14 तक है को नए टाइटल "निकटता से सुसंगत तथ्य" के रूप में दिखाया गया है जो की निर्वचन के दृष्टिकोण से सहायक होगा।

धारा 20 दस्तावेजों बारे में मौखिक स्वीकृतियां

- साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 22(a) के संबंध में- इस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखो की अंर्तवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होगी के संबंध में प्रावधान किया गया था महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस धारा को नये साक्ष्य अधिनियम में न जोडे जाने के कारण उसका प्रभाव यह होगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक/ डिजिटल दस्तावेजों की मौखिक संस्वीकृत नही दी जा सकेगी उन्हे दस्तावेज के रूप में ही सिद्ध करना होगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

धारा 22
उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा करायी संस्वीकृति

- धमकी, वचन, उत्प्रेरणा के साथ **प्रपीड़न शब्द जोड़ा गया है** अर्थात प्रपीड़न के द्वारा प्राप्त संस्वीकृति को भी धारा 22 में विसंगत बनाया गया है। पूर्व साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 जो की BSA की धारा 22 है, में धमकी, वचन, उत्प्रेरणा के साथ प्रपीड़न (Coercion) शब्द जोड़ा गया है। **प्रपीड़न (Coercion) का सामान्य अर्थ है, किसी व्यक्ति को डर या धमकी के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए विवश किया जाना या किसी व्यक्ति की संपत्ति को निरुद्ध कर कोई कार्य करा लेना या सम्मति प्राप्त कर लेना। (संशोधित धारा)**
- पूर्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 28 एवं 29 को BSA की **धारा 22 में समाहित किया गया है।**

धारा 23
पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति

- पूर्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 एवं 27 को BSA की **धारा 23 में समाहित किया गया है।**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

धारा 24

- साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिये संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना के संबंध में- स्पष्टीकरण 2 के अनुसार महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए भगोड़े आरोपी जो जारी BNSS की धारा 84 उद्घोषणा के पालन में उपस्थित नहीं होता है, के विचारण को इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण माना गया है, अर्थात भले आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है जो उसका विचारण BNSS 2023 के अनुसार जारी है, उसमें उक्त विचारण अन्य सह आरोपी के साथ संयुक्त विचारण माना जायेगा और ऐसे सह आरोपी के द्वारा की गई संस्वीकृति उस भगोड़े आरोपी के संबंध में विचार में ली जा सकेगी।

धारा 39
विशेषज्ञों की राय

- विशेषज्ञों की राय के संबंध में - किसी अन्य क्षेत्र को जोड़ा गया है अर्थात धारा में वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में विशेष कुशल व्यक्ति की राय भी सुसंगत होगी। पूर्व में यह धारा केवल उसमें वर्णित विषयों तक सीमित थी।

प्राथमिक साक्ष्य

धारा 57

इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए है, अब निम्नलिखित को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी है-

<u>स्पष्टीकरण 1</u> - जहां कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

<u>स्पष्टीकरण 2</u> - जहां कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है।

<u>स्पष्टीकरण 3</u> - जहां कि अनेक दस्तावेजें एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है।

प्राथमिक साक्ष्य

धारा 57

नया स्पष्टीकरण 4 - जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया जाता है और ऐसा भंडारण एकसाथ या पश्चात्वर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है।

नया स्पष्टीकरण 5 - जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है।

नया स्पष्टीकरण 6 - जहां किसी वीडियो रिकार्डिंग को इलैक्ट्रानिक प्ररूप में एक साथ भंडारित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो हर एक भंडारित रिकार्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है।

नया स्पष्टीकरण 7 - जहां किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटरसंसाधन में एक से अधिक भंडारण स्थान में भंडारित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें हैं, प्राथमिक साक्ष्य है।

द्वितीयक साक्ष्य

धारा 58

धारा 58 द्वितीयक साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य के अन्तर्गत आते हैं-

(i) एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां;
(ii) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां;
(iii) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां;
(iv) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख;
(v) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत ;
(vi) मौखिक स्वीकृतियाँ
(vii) लिखित स्वीकृतियाँ
(viii) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है, जिसके मूल में अनेक लेखे या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं, जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

धारा 61

- **धारा 61** इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेजों की स्वीकार्यता में समानता लाती है। अब, धारा 63 के अधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का अन्य दस्तावेजों के समान ही कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता होगी तथा साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। **(नयी धारा)**

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखो के विशेष उपबंध एवं ग्राह्यता

- धारा 62,63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखो के विशेष उपबंध एवं ग्राह्यता के संबंध में- धारा 62 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं को बताता है। ऐसे प्रमाणपत्र पर कंप्यूटर या संचार उपकरण के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। **BSA** की अनुसूची धारा 63 (4) (ग) में एक पृथक से प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया है जो पूर्व में साक्ष्य अधिनियम धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र दिया जाता था वह अब उक्त दो नए प्रोफार्मा में दिया जायेगा- भाग क पक्षकार द्वारा भरा जाना है एवं भाग ख विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

धारा 85 इलैक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा

- न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलैक्ट्रानिक अभिलेख जो पक्षकारों के इलैक्ट्रानिक या डिजिटल हस्ताक्षर को अन्तर्विष्ट करने वाला ऐसा करार होना तात्पर्यत है, इस प्रकार पक्षकारों के इलैक्ट्रानिक या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दिया गया था।

धारा 138 सहअपराधी की संपुष्टसाक्ष्य पर दोषसिद्धि

- धारा 138 सह अपराधी की संपुष्टसाक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि को **वैध** माना गया है पूर्व में साक्ष्य अधिनियम 1872 में उक्त धारा में शब्द **अपुष्ट साक्ष्य** लेख था।

BSA में किए गए नए प्रावधान

धारा	प्रावधान
2(2)	शब्द और पद
61	इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख
63(4) की नई अनुसूची	द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दिये गये प्रिन्ट आउट आदि के सही होने के संबंध में प्रमाण पत्र (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 65 बी प्रमाण पत्र) प्रारूप । इस संबंध में अनुसूची भी जोड़ी गई है।

BSA की हटाई गई धाराएं

धारा	प्रावधान
3, पैरा 10	"भारत" से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।
22 क	इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुके बारेमेंमौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है।
82	मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा
88	तार संदेशों के बारे में उपधारणा
113	राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत
166	जूरी या असेसरों की प्रश्न करनेकी शक्ति

धारा 63(4)(C) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप (पक्षकार द्वारा)

अनुसूची

प्रमाण-पत्र

भाग क

(पक्षकार द्वारा भरा जाना है)

मैं ..... (नाम), पुत्र/पुत्री / पति/पत्नी..... जो ..... का निवासी/मैं नियोजित हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और शुद्ध हृदय से कथन करता/करती हूँ और निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ कि :-

मैंने निम्नलिखित युक्ति/डिजिटल स्त्रोत से लिए गए डिजिटल अभिलेख का इलेक्ट्रानिकी अभिलेख/निर्गम प्रस्तुत किया है (चिह्न लगाएँ) :

कम्प्यूटर/भण्डारण मीडिया ☐ डी. वी. आर. ☐ मोबाइल ड्राइव ☐ फ्लैश ड्राइव ☐

सी.डी./डी.वी.डी. ☐ सर्वर ☐ क्लाऊड ☐ अन्य ☐

अन्य : .....

मेक और मॉडल ..... रंग : .....

क्रम संख्याक : .....

आई.एम.ई.आई./यू.आई.एन./यू.आई.डी./एम.ए.सी./क्लाऊड आईडी ..... (जैसा लागू हो) और युक्ति/डिजिटल अभिलेख ..... के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें)।

डिजिटल युक्ति या डिजिटल अभिलेख स्त्रोत नियमित क्रियाकलाप करने के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से सूचना का सृजन करने, भंडारण करने या प्रोसेस करने के लिए विधिपूर्ण नियंत्रणाधीन थे और इस कालावधि के दौरान कंप्यूटर या संचार युक्ति समुचित रूप से कार्य कर रही थी तथा कारबार के साधारण क्रम के दौरान सुसंगत सूचना को कंप्यूटर में नियमित रूप से फीड किया गया था। यदि किसी भी समय कंप्यूटर/डिजिटल युक्ति समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी या प्रचालन में नहीं थी तब इससे इलैक्ट्रानिक/डिजिटल अभिलेख या उसकी शुद्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है। डिजिटल युक्ति या डिजिटल अभिलेख का स्त्रोत मेरे द्वारा :-

स्वामित्वाधीन ☐ अनुरक्षित ☐ प्रबंधित ☐ प्रचालित (जो लागू हो उसका चयन करे), है।

मैं, कथन करता/करती हूं कि इलैक्ट्रानिकी/डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम से अभिप्राप्त हैश मान ..... है।

☐ एसएचए1:

☐ एसएचए 256 :

☐ एमडी5 :

☐ अन्य ..... (विधिक रूप से स्वीकार्य मानक)

(प्रमाणपत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख (दिन/मास/वर्ष) : .....

समय (आईएसटी) : ..... (24 घंटे के प्ररूप में)

स्थान : .....

धारा 63(4)(C) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप (विशेषज्ञ द्वारा)

भाग ख

(विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना है)

मैं ..... (नाम), पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी ....., जो ..... का निवासी .....में नियोजित हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और शुद्ध हृदय से कथन करता/करती हूँ और निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ कि —

प्रस्तुत किए गए डिजिटल अभिलेख के इलैक्ट्रानिकी अभिलेख/निर्गम निम्नलिखित युक्ति/डिजिटल अभिलेख स्त्रोत से अभिप्राप्त किए गए हैं (चिह्न लगाएं) :

कम्प्यूटर/भंडारण मीडिया ☐ डीवीआर ☐ मोबाइल ☐ फ्लैश ड्राइव ☐

सीडी/डीवीडी ☐ सर्वर ☐ क्लाऊड ☐ अन्य ☐

अन्य : .....

मेक और मॉडल : ..... रंग : .....

क्रम संख्यांक : .....

आईएमईआई/यूआईएन/यूआईडी/एमएसी/क्लाऊड आईडी ..... (जैसा लागू हो)

और युक्ति/डिजिटल अभिलेख ..... के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें)।

मैं, कथन करता/करती हूं कि इलैक्ट्रानिकी/डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम से अभिप्राप्त हैश मान ..... है :–

☐ एसएचए1:

☐ एसएचए 256 :

☐ एमडी5 :

☐ अन्य ..... (विधिक रूप से स्वीकार्य मानक)

(प्रमाणपत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम, पदनाम और हस्ताक्षर)

तारीख (दिन/मास/वर्ष) : .....

समय (आईएसटी) : ..... (24 घंटे के प्ररूप में)

स्थान : .....

कार्यालय,
पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज,
बिलासपुर

धन्यवाद